जारी 8/1/2022

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 212 /XXV–08/2018 देहरादूनः दिनांक 08 जनवरी, 2022.

Election-Urgent

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी एवं,
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय– **विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022–Officers Exempted from disqualification of holding office of profit के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर सचिव विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–04/XXXVi(3)/2022/01(01)/2012 दिनांक 06 जनवरी 2022 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1971) की **Officers Exempted from disqualification of holding office of profit** से संबंधित अधिनियमों की अद्यावधिक सूचना उपलब्ध कराई गई है।

अतः विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 के सम्पादनार्थ उक्त **Officers Exempted from disqualification of holding office of profit** की उक्त अद्यावधिक सूचना समस्त रिटर्निंग आफिसरों, एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ABSTRACT OF OFFICERS EXEMPTED FROM DISQUALIFICATION FOR HOLDING OFFICE OF PROFIT

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण), 1971
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1971)

(क) संघ या राज्य के किसी राज्य मंत्री या उपमंत्री का पद अथवा किसी मंत्री के सभा सचिव का पद,

(ख) नेशनल कैडेट कोर ऐक्ट 1948, टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट 1948 या रिजर्व ऐण्ड आग्जीलियरी एयन फोर्सेज ऐक्ट 1952 के अधीन संग्रहीत या अनुरक्षित किसी दल के किसी सदस्य का पद

(ग) जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, भारतीय स्थल सेना, भारतीय वायु सेना या भारतीय नौ सेना या रक्षित दल के किसी अधिकारी का पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय या नागरिक सुरक्षा सेवा के किसी अध्यक्ष का पद

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघठित होम गार्ड्स में कोई पद

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित किसी ग्राम सुरक्षा दल (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) में कोई पद,

(च) किसी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट, सेनेट कार्यकारिणी समिति परिषद या कोर्ट अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य निकाय के या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था की प्रबन्ध समिति चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के अध्यक्ष या सदस्य का पद,

(छ) किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारत के बाहर भेजे गये किसी प्रतिनिधि मण्डल या शिष्ट मण्डल के सदस्य का पद,

(ज) राज्य सरकार के नियोजन विभाग में राज्य मूल्यांकन सलाहक परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद

(झ) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य अथवा सभापति का पद

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिंचाई आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद,

(ट) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रम आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पदः

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पदः

(ड) लोक महत्व के किसी विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह लेने के लिए या किसी ऐसे विषय के संबंध में जांच करने अथवा आंकड़े संग्रहित करने के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई किसी समिति के (चाहे उसमें एक सदस्य या अधिक सदस्य हो) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अथवा सचिव का पद यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो

(ढ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खण्ड (ज) खण्ड **(झ)** खण्ड (ञ), खण्ड (ट) खण्ड (ठ) या खण्ड (ड) में अभिदिष्ट किसी ऐसे निकाय से भिन्न किसी परिनियत या अपरिनियत निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो,

(ण) किसी ग्राम राजस्व अधिकारी का पद चाहे उसे लम्बदार प्रधान सरग्रोह, मालगुजार ग्राम सयाना, खात सयाना के नाम से या किसी अन्य नाम से पुकारा जाय, जिसका कार्य मालगुजारी वसूल करना हो और जिसे उसके द्वारा वसूल की गयी मालगुजारी का अंश या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाय, किन्तु जो पुलिस के किन्ही कृत्यों को न करता हो,

(त) इंडियन सिक्योरिटीज ऐक्ट, 1920 में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों या भारत सरकार द्वारा जारी किये गये किन्ही बचत प्रमाण–पत्रों की बिक्री के लिए अथवा उसके अंशदानों के संग्रहण के लिए किसी ऐजन्ट का (कमीशन पर या बिना कमीशन पर) पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जायः

(थ) संविधान के अनुच्छेद 31–क के खण्ड (1) उपखण्ड (ख) के अधीन बनाई गई विधि के अन्तर्गत सीमित अवधि के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गयी किसी सम्पत्ति के प्रबन्ध के लाभप्रद पद जब वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धूत हो जो इस प्रकार उक्त सम्पत्ति के अधिकार में लिये जाने के पूर्व से उसके प्रबन्ध के संबंध में सेवायोजित हो,

(द) कोई पद, जो किसी विशेष कर्तव्य का पालन करने के लिए पूर्णकालिक पद न हो, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो,

(घ) पैनेल के वकील का पद (जिसके अन्तर्गत) 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 127–ख के अधीन नियुक्त कोई पैनेल का वकील भी हो), यदि ऐसे पद का धारक किसी प्रतिधारण या वेतन, उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाय के लिए हकदार न होय

(न) लेख्य–प्रमाणक या शपथ अधिकारी का पद या किसी न्यायालय या कलेक्टर द्वारा नियुक्त कमिश्नर अथवा अदाता अथवा एमीकस ग्यूरी का पद अथवा सरकारी अदाता किन्तु इसके अन्तर्गत सरकारी परिसमापक का पद नहीं है।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के पद के अन्तर्गत उसी प्रकार के सभी पद होंगे, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(प) राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पदः

(फ) राज्य सरकार के पंचायती राज (2) विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 4519–बी/33–111–71 तारीख 13 दिसम्बर, 1971 द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पदः

(ब) राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा नियुक्त राजस्व न्यायिक पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद,

(भ) निम्नलिखित अकानूनी निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद, अर्थात

(1) उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन

(2) उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन

(3) उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन।

(4) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

(म) निम्नलिखित अकानूनी निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद, अर्थात

(1) उत्तर प्रदेश स्टेट स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड।

(2) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड।

(3) उत्तर प्रदेश सिमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड।

(4) उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड।

(5) उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड

(6) उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड।

(7) उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिजेज कारपोरेशन लिमिटेड।

(ब) उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन।

(9) हिल डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड।

(10) प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड।

(11) इडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड। (12) उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कारपोरेशन।

(13) पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड।

(14) बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड।

(य) उत्तर प्रदेश वक्फों के सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड या शिया सेन्ट्रल बोर्ड के यथास्थिति, अध्यक्ष सदस्य का नियंत्रक, यदि कोई हो, का पद'

4– निम्नलिखित अधिनियम एतदद्वारा निरस्त किये जाते हैं :

(1) दि यूनाइटेड प्रोविन्सेज लेजिस्लेटिव मेम्बर्स रिमूवल आफ डिसक्वालिफिकेशन ऐक्ट, 1940,

(2) उत्तर प्रदेश सभा सचिव (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1950,

(3) उर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1951,

(4) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम 1952

(5) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1952

(6) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम 1953

(7) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (राष्ट्रीय नियोनज ऋण) अधिनियम 1954

(8) उत्तर प्रदेश राज्य विधान के मण्डल सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधिनियम 1955

(9) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) अधिनियम 1956

(10) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम 1953

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनहर्ता निवारण) अधिनियम, 1971) (संशोधन) अधिनिमय, 2006 (अधिनिमय सं० : 07, वर्ष 2006)

1. राज्य आपदा राहत समिति
2. आपदा एवं न्यूनीकरण प्रबन्धन प्राधिकरण
3. भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण
4. उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्
5. उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्
6. राज्य स्तरीय कृषक मित्र परिषद्
7. राज्य स्तरीय उद्योग मित्र परिषद्
8. उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग
9. उत्तरांचल बाल कल्याण बोर्ड
10. गढ़वाल मण्डल विकास निगम
11. कुमाऊं मण्डल विकास निगम
12. चार धाम विकास परिषद्
13. श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर समिति
14. उत्तरांचल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
15. राज्य स्तरीय विशेष मात्राकरण योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति
16. उत्तरांचल वाणिज्य कर सलाहकार समिति
17. उत्तरांचल अनुसूचित जाति–जनजाति आयोग
18. पर्यटन परामर्शदाता
19. गन्ना एवं चीनी विकास उद्योग बोर्ड
20. उत्तरांचल भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड
21. उत्तरांचल वन विकास निगम।
22. बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति
23. उत्तरांचल परिवहन निगम।
24. राज्य युवा कल्याण परिषद्
25. राज्य योजना आयोग
26. हिलट्रॉन

(ख) खण्ड (म) निकाल दिया जायेगा

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनहर्ता निवारण) अधिनियम, 1971, (संशोधन) अधिनिमय, 2008 (अधिनिमय सं0 09, वर्ष 2008)

27. सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद्
28. सम्पूर्ण रोजगार गारन्टी योजना अनुश्रवण परिषद्
29. समेकित बाल विकास परियोजना अनुश्रवण परिषद्
30. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अनुश्रवण एवं सलाहकार परिषद्
31. राज्य बागवानी बोर्ड
32. जलागम प्रबन्ध परियोजनायें अनुश्रवण विकास परिषद्
33. उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद्
34. उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण
35. अनुसूचित जाति/ जनजाति विकास परिषद्
36. जनजाति क्षेत्र विकास परिषद्
37. प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद्
38. राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सलाहकार एवं अनुश्रवण परिषद्
39. राज्य ऊर्जा सलाहकार परिषद्
40. राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद्
41. आवास एवं विकास परिषद्
42. शहरी विकास परियोजना अनुश्रवण परिषद्
43. सर्व शिक्षा अभियान विकास एवं अनुश्रवण परिषद्
44. ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें अनुश्रवण परिषद्
45. सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद्
46. राज्य स्तरीय लघु सिंचाई अनुश्रवण परिषद् (गढ़वाल मण्डल)
47. राज्य स्तरीय लघु सिंचाई अनुश्रवण परिषद् (कुमाऊँ मण्डल)
48. पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति
49. समाज कल्याण योजनायें अनुश्रवण समिति
50. हथकरघा एवं हस्त शिल्प विकास परिषद्
51. राज्य जैविक उत्पाद परिषद्
52. उत्तराखण्ड लाईव स्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड
53. वन एवं पर्यावरण सलाहकार एवं अनुश्रवण परिषद्
54. राज्य फिल्म सलाहकार परिषद्

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनहर्ता निवारण) अधिनियम, 1971) (संशोधन) अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं0 15 वर्ष 2010)

55. सभा सचिव

56. उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी

57. उत्तराखण्ड भाषा संस्थान

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनहर्ता निवारण) (संषोधन) अधिनियम, 2013 (अधिनियम सं0 32, वर्ष– 2013)

58. उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम

59. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड

60. उत्तराखण्ड राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण अभिकरण

61. उर्दू संस्थान

62. पंजाबी संस्थान

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनहर्ता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम सं० 18, वर्ष 2014)

63. राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास परिषद्

64. पिछडा व अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद् एवं पिछड़ा वर्ग निधि अनुश्रवण

65. सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद्

66. राज्य खनिज विकास परिषद्

67. उत्तराखण्ड समाज कल्याण योजना अनुश्रवण समिति

68. एस०सी०एस०पी० तथा टी०एस०पी० अधिनियम अनुपालन व अनुश्रवण समिति

69. समाज कल्याण व राज्य सम्पत्ति विभाग के सलाहकार

70. उत्तराखण्ड राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड

71. हरिद्वार/रूड़की विकास प्राधिकरण

72. तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला परिषद्

73. राज्य स्तरीय जिला योजना अनुश्रवण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति

74. आपदा पुनर्निर्माण कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनहर्ता निवारण) (संशोधन)
(अधिनियम 2017 सं० 12 वर्ष 2017)

75. पर्वतीय चकबंदी सलाहकार समिति

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनहर्ता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2019
(अधिनियम सं० 07, वर्ष 2020)

76. गैरसैंण विकास परिषद्

Received 7/1/2022

महत्वपूर्ण / तत्काल

संख्याः 04 / XXXVI(3) / 2022 / 01(01) / 2012

प्रेषक,

अपर सचिव,
विधायी एवं संसदीय कार्य,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, देहरादून, दिनांकः 06 जनवरी, 2022

विषयः विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन– 2022: **Officers Exempted from Disqualification for Holding Office of Profit के संबंध में अद्यावधिक सूचना विषयक।**

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0– 70 / XXV–08 / 2018, दिनांक 04.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– तद्क्रम में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा समय– समय पर अधिनियमित एवं राज्य में यथाप्रवृत्त निम्नलिखित अधिनियमों की छायाप्रति प्रेषित की जा रही है:–

1– उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनहर्ता निवारण) अधिनियम, 1971 (सं0 15, वर्ष– 1971)

2– उत्तरांचल {उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनहर्ता निवारण) अधिनियम, 1971} (संशोधन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0 07, वर्ष– 2006)

3– उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनहर्ता निवारण) अधिनियम, 1971} (संशोधन) अधिनियम, 2008 (अधिनियम सं0 09, वर्ष– 2008)

4– उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनहर्ता निवारण) अधिनियम, 1971} (संशोधन) अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं0 15, वर्ष– 2010)

5– उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनहर्ता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (अधिनियम सं0 32, वर्ष– 2013)

6– उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनहर्ता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम सं0 18, वर्ष– 2014)

7– उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनहर्ता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 12, वर्ष– 2017)

8– उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनहर्ता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2019 (अधिनियम सं0 07, वर्ष– 2020)

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव।

पृ0सं0: /XXXVI(3)/2022/01(01)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:– वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव।

E/Kuliyal R.O.G.O.Letters.doc

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1971}

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1971

[U. P. Act No. 15 of 1971]

10

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971[1]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1971}

राष्ट्रपति अधिनियम सं0 14, 1973 तथा उ0प्र0 अधिनियम सं0 30, 1974 द्वारा संशोधित

{उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 8 मई, 1970 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 14 जुलाई, 1971 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 जुलाई, 1971 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19 जुलाई, 1971 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

शासन के अन्तर्गत कुछ लाभप्रदर पदों में यह घोषित करने के लिए कि उन पर अध्यासित व्यक्ति उन पदों के कारण राज्य विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 कहलायेगा।

परिभाषाएं

2— जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

(क) "प्रतिकर भत्ता" का तात्पर्य किसी पदधारी को दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता के रूप में इस प्रयोजन से देय धनराशि से है, जिससे कि वह उक्त पद के कृत्यों का संपादन करने में अपने द्वारा किये गये व्यय की पूर्ति कर सके, ऐसे भत्ते, दैनिक भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता की दशा में न तो उन दरों से अधिक हो और न उन शर्तों से अधिक अनुकूल शर्तों पर ग्राह्य हो, जो संविधान के अनुच्छेद 195 के अधीन बनाये गये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोज्य हो;

(ख) "परिनियत निकाय" का तात्पर्य किसी निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों के अन्य निकाय से है, चाहे वह निगमित हो या न हो, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित हो;

(ग) "अपरिनियत निकाय" का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे निकाय से है, जो परिनियत निकाय न हो;

(घ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

कुछ लाभप्रद पद अनर्ह न करेंगे

3— एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई पद, जहां तक वह भारत सरकार या भारत सरकार के अन्तर्गत कोई लाभप्रद पद हो, उसके धारक को राज्य विधान मण्डल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

(क) संघ या राज्य के किसी राज्य मंत्री या उपमंत्री का पद अथवा किसी मंत्री के सभा सचिव का पद;

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 23 जुलाई, 1969 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

(ख) नेशनल कैडेट कोर ऐक्ट, 1948, टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट, 1948 या रिजर्व ऐण्ड आग्जीलियरी एयन फोर्सेज ऐक्ट, 1952 के अधीन संग्रहीत या अनुरक्षित किसी दल के किसी सदस्य का पद; ऐक्ट सं0 31, 1948 ऐक्ट सं0 56, 1948 ऐक्ट सं0 62, 1952

(ग) जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, भारतीय स्थल सेना, भारतीय वायु सेना या भारतीय नौ सेना या रक्षित दल के किसी अधिकारी का पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय या नागरिक सुरक्षा सेवा के किसी अध्यक्ष का पद;

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघठित होम गार्ड्स में कोई पद;

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित किसी ग्राम सुरक्षा दल (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) में कोई पद;

(च) किसी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट, सेनेट, कार्यकारिणी समिति, परिषद या कोर्ट अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य निकाय के या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था की प्रबन्ध समिति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के अध्यक्ष या सदस्य का पद,

(छ) किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारत के बाहर भेजे गये किसी प्रतिनिधि मण्डल या शिष्ट मण्डल के सदस्य का पद;

(ज) राज्य सरकार के नियोजन विभाग में राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद;

(झ) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट सदस्य अथवा सभापति का पद;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिंचाई आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रम आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ड) लोक महत्व के किसी विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह लेने के लिए या किसी ऐसे विषय के संबंध में जांच करने अथवा आंकडे संग्रहित करने के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई किसी समिति के (चाहे उसमें एक सदस्य या अधिक सदस्य हों) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अथवा सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(ढ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ज), खण्ड (झ),खण्ड (ञ), खण्ड (ट), खण्ड (ठ) या खण्ड (ड) में अभिदिष्ट किसी ऐसे निकाय से भिन्न किसी परिनियत या अपरिनियत निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(ण) किसी ग्राम राजस्व अधिकारी का पद, चाहे उसे लम्बदार, प्रधान, सरग्रोह, मालगुजार, ग्राम सयाना, खात सयाना के नाम से या किसी अन्य नाम से पुकारा जाय, जिसका कार्य मालगुजारी वसूल करना हो और जिसे उसके द्वारा वसूल की गयी मालगुजारी का अंश या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाय, किन्तु जो पुलिस के किन्हीं कृत्यों को न करता हो;

(त) इंडियन सिक्योरिटीज ऐक्ट, 1920 में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों या भारत सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं बचत प्रमाण–पत्रों की बिक्री के लिए अथवा उसके अंशदानों के संग्रहण के लिए किसी ऐजन्ट का (कमीशन पर या बिना कमीशन पर) पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय;

(थ) संविधान के अनुच्छेद 31–क के खण्ड (1) उपखण्ड (ख) के अधीन बनाई गई विधि के अन्तर्गत सीमित अवधि के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गयी किसी सम्पत्ति के प्रबन्ध के लाभप्रद पद, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धृत हो जो इस प्रकार उक्त सम्पत्ति के अधिकार में लिये जाने के पूर्व से उसके प्रबन्ध के संबंध में सेवायोजित हो;

(द) कोई पद, जो किसी विशेष कर्तव्य का पालन करने के लिए पूर्णकालिक पद न हो, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(ध) पैनेल के वकील का पद (जिसके अन्तर्गत) 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम की धारा 127–ख के अधीन नियुक्त कोई पैनेल का वकील भी हो), यदि ऐसे पद का धारक किसी प्रतिधारण या वेतन, जिसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के लिए हकदार न हो;

(न) लेख्य–प्रमाणक या शपथ अधिकारी का पद या किसी न्यायालय या कलेक्टर द्वारा नियुक्त कमिश्नर अथवा अदाता अथवा एमीकस क्यूरी का पद अथवा सरकारी अदाता किन्तु इसके अन्तर्गत सरकारी परिसमापक का पद नहीं है।

स्पष्टीकरण–– इस धारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के पद के अन्तर्गत उसी प्रकार के सभी पद होंगे, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

{(प) राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद;

(फ) राज्य सरकार के पंचायती राज (2) विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 4519–बी / 33–111–71, तारीख 13 दिसम्बर, 1971 द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ब) राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा नियुक्त राजस्व न्यायिक पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद;

(भ) निम्नलिखित अकानूनी निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद, अर्थात्:–

(1) उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन।

(2) उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन।

(3) उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन।

(4) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

(म) निम्नलिखित अकानूनी निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद, अर्थात्:–

(1) उत्तर प्रदेश स्टेट स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड।

(2) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड।

(3) उत्तर प्रदेश सिमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड।

(4) उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड।

(5) उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड।

(6) उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड।

(7) उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिजेज कारपोरेशन लिमिटेड।

(8) उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन।

(9) हिल डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड।

(10) प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड।

(11) इडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड।

(12) उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कारपोरेशन।

(13) पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड।

(14) बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड।

(य) उत्तर प्रदेश में वक्फों के सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड या शिया सेन्ट्रल बोर्ड के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का नियंत्रक, यदि कोई हो, का पद।}[1]

4— निम्नलिखित अधिनियम एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :–

(1) दि यूनाइटेड प्रोविन्सेज लेजिस्लेटिव मेम्बर्स रिमूवल आफ डिसक्वालिफिकेशन ऐक्ट, 1940; यू०पी० ऐक्ट सं० 7, 1940

(2) उत्तर प्रदेश सभा सचिव (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1950; उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 2, 1950

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1951 उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 19, 1951

(4) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1952; उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 4, 1952

(5) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, 1952 उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 13, 1952

(6) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1953 उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 20, 1953

---

1. राष्ट्रपति अधि० सं० 14, 1973 की धारा 2 द्वारा 12.06.1973 से प्रतिस्थापित।

(7) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) अधिनियम, 1954 — उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 23, 1954

(8) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1955 — उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 16, 1955

(9) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1956 — उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 35, 1956

(10) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1953 — उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 3, 1957

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1971[1]

(UTTAR PRADESH ACT NO. XV OF 1971)

Amended by President's Act no. XIV of 1973 and U. P. Act 30 of 1974.

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council, on May 8, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 14, 1971.

Received the assent of the Governor on July 17. 1971 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated July 19, 1971.]

AN

ACT

to declare that certain offices of profit under the Government shall not disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being members of the State Legislature.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1- This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971.

Definitions

2- In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) "compensatory allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance conveyance allowance, house rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions' of that office, such allowance in the case of daily allowance, house rent allowance or travelling allowance being not higher in rates and not admissible on' conditions more favourable them those applicable under any law for the time being in force made under Article 195 of the Constitution;

(b) "statutory body" means any corporation, committee commission, council, board or other body of persons, whether incorporated or not. established by or under any law for the time being in force;

(c) "non-statutory body" means any body of persons other than a statutory body;

(d) "the State" means the State of Uttar Pradesh.

Certain offices of profit not to disqualify

3- It is hereby declared that none of the following offices in so far as it is an office of profit under the Government of India or the State Government shall disqualify or be deemed ever to have disqualified the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of the State Legislature, namely-

(a) the office of Minister of State or Deputy Minister, or of Parliamentary Secretary to a Minister, either for the Union or for the State;

1- For Statement of Objects and Reasons. see Uttar Pradesh Gazelle Extraordinary, dated July 23, 1969 .

(b) the office of a member of any force raised or maintained under the National Cadet Corps Act. 1948. the Territorial Army Act, 1948, or the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1952;

(c) while a Proclamation of Emergency under Article 352 of the Constitution is in operation. the office of an officer, by whatever name called of the Indian Army, the Indian Air Force or the Indian Navy, or of any Reserve Force, or of a member of any civil defence service;

(d) any office in the Home Guards constituted by or under any law for the time being in force or under the authority of the State Government ;

(e) any office in a village defence party (by whatever name called) constituted by or under any lay for the time being in force or under the authority of the State Government ;

(f) the office of Chairman or a member of the syndicate, senate, executive committee, council or court of a University or any other body connected with a university or of the managing committee, by whatever. name called. of any educational institution receiving aid of State funds:

(g) the office of a member of any delegation or mission sent outside India by the Government of India or the State Government for any special purpose :

(h) the office of Chairman or Deputy Chairman of the State Evaluation Advisory Board in the Planning Department of the State Government ;

(i) the office of the Chairman or a member of the Committee of management of a co-operative society nominated by the State Government under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 ;

(j) the office of the Chairman or a member of the Irrigation Commission appointed by the State Government;

(k) the office of the Chairman or a member of the Labour Commission appointed by the State Government ;

(1) the office of the Chairman or a member of the Pay Commission appointed by the State Government ;

(m) the office of Chairman, Deputy Chairman or a member or Secretary of a committee (whether consisting of one or more members), set up temporarily for the purpose of advising the Government of India or the State Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance ;

(n) subject to the provisions of section 10 of the Representation of the People Act, 1951, the office of Chairman, Deputy Chairman, Director, member or Secretary of any statutory or non-statutory body other than any such body as is referred to in clause (h), clause (i), clause (j), clause (k), clause (1), or clause (m), if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance ;

(0) the office of a village revenue officer, whether called lamberdar, pradhan, sargroh, malguzar, village Siana, Khat Siana, or by any other name, whose duty is to collect land revenue and who is remunerated by a share of, or commission on, the amount of land revenue collected by him, but who does not discharge any police functions;

(p) the office of an agent (for commission or without commission), by whatever name called for the sale of or for the collection of subscriptions towards Government Securities as defined in the Indian Securities Act, 1920, or any savings certificates issued by the Government of India ;

(q) an office of profit in connection with the management of any property taken over by Government of India or the State Government for a limited period under a law made under sub-clause (b) of clause (1) of Article 31-A of the Constitution, when held by a person who was employed in connection with the management of that property before such taking over ;

(r) any office, which is not a whole-time office, for the performance of any special duty, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance ;

(s) the office of a panel lawyer (including a panel lawyer appointed under section 127-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950), if the holder of such office is not entitled to any retainer or salary, by whatever name called:

(t) the office of a Notary Public or Oath Commissioner, or a Commissioner or Receiver Or amicus curiae appointed by any court or by the Collector or an Official Receiver but not including an Official Liquidator.

Explanation-For the purposes of this section, the office of Chairman, Deputy Chairman or Secretary shall include every office of that description by whatever name called;

[(u) the office of Chairman, Deputy Chairman or a member of the State Planning Commission;

(v) the office of the Chairman or a member of the committee appointed by the State Government by office Memorandum No. 4519-B/33-111-71, dated December 13, 1971, of the Panchayati Raj (2) Department of the State Government;

(w) the office of the Chairman or a member of the Revenue, Judiciary Reorganization Committee appointed by the Revenue Department of 'the State Government;

(x) the office of the Chairman or member (whether called Director or by any other name) of each of the following statutory bodies, namely-

(1) Uttar Pradesh State Financial Corporation.

(2) Uttar Pradesh State Road Transport Corporation.

(3) Uttar Pradesh State Warehousing Corporation.

(4) Uttar Pradesh Awas Evam Vikash Parishad;

(y) the office of the Chairman or member (whether called Director or by any other name) of each of the following non-statutory bodies, namely-

(1) Uttar Pradesh State Small Industries Corporation Ltd.

(2) Uttar Pradesh State Agro-Industrial Corporation Ltd.

(3) Uttar Pradesh Cement Corporation Ltd.

(4) Uttar Pradesh State Industrial Corporation Ltd.

(5) Uttar Pradesh State Sugar Corporation Ltd.

(6) Uttar Pradesh State Textile Corporation Ltd.

(7) Uttar Pradesh State Bridges Corporation Ltd.

(8) Uttar Pradesh Export Corporation.

(9) Hill Development Corporation Ltd.

(10) Pradeshiya Industrial and Investment Corporation of Uttar Pradesh Ltd.

(11) Indian Turpentine and Rosin Company Ltd.

(12) Uttar Pradesh State Handloom Corporation.

(13) Poorvanchal Vikas Nigam Ltd.

(14) Bundelkhand Vikas Nigam Ltd.

(z) the office of Chairman or a member, or as the case may be, of the Controller, if any, of the Sunni Central Board or Shia Central Board of Waqfs in Uttar Pradesh.][1]

4- The following Acts are hereby repealed :

U.P. Act VII of 1940 — (1) The United Provinces Legislative Members Removal of Disqualifications Act, 1940;

U. P. Act II of 19.50 — (2) The Uttar Pradesh Parliamentary Secretaries (Removal of Disqualification) Act, 1950 ;

U. P. Act XIX of 1951 — (3) The Uttar Pradesh Legislature Members Prevention of Disqualification Act, 1951 ;

U. P Act IV of 1952 — (4) The Uttar Pradesh State Legislature Members Prevention of Disqualification Act, 1952 ;

U. P. Act XIII of 19.52 — (5) The Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification) (Second) Act, 1952 ;

U. P. Act XX of 1953 — (6) The Uttar Pradesh State Legislature Members Prevention of Disqualification (Supplementary) Act, 1953 ;

1. Inserted by s. 2 of President's Act no. XIV of 1973 w. e. f. 12th June, 1973.

U. P. Act 23 of 1954 (7) The Uttar Pradesh Legislature Members (National Plan Loan) (Prevention of Disqualification) Act, 1954 ;

U. P. Act XVI of 1955 (8) The Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification) Act, 1955 ;

U. P. Act XXXV of 1956 (9) The Uttar Pradesh State Legislature Members (Life Insurance) (Prevention of Disqualification) Act, 1956 ;

U. P. Act III of 1957 (10) The Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification), (Supplementary) Act, 1956.

क्रम संख्या–54

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2006 ई0

चैत्र 17, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 720/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006

देहरादून, 07 अप्रैल, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 05 अप्रैल, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 07, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 07, सन् 2006)

(जैसा उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में उत्तरांचल राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) यह 09 नवम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

मूल अधिनियम की धारा 2 में संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (क) में शब्द "दैनिक भत्ता" से पूर्व शब्द "मानदेय" (चाहे उसके लिए 'वेतन', 'पारिश्रमिक' या अन्य कोई शब्द प्रयुक्त किया हो), रख दिये जायेंगे।

मूल अधिनियम की धारा 3 में संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में–(क), खण्ड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे:–

(भ) निम्नलिखित निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) के पद, अर्थात :–

(1) राज्य आपदा राहत समिति।

(2) आपदा एवं न्यूनीकरण प्रबन्धन प्राधिकरण।

(3) भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण।

(4) उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्।

(5) उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्।

(6) राज्य स्तरीय कृषक मित्र परिषद्।

(7) राज्य स्तरीय उद्योग मित्र परिषद्।

(8) उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग।

(9) उत्तरांचल बाल कल्याण बोर्ड।

(10) गढ़वाल मण्डल विकास निगम।

(11) कुमाऊं मण्डल विकास निगम।

(12) चार धाम विकास परिषद्।

(13) श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर समिति।

(14) उत्तरांचल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड।

(15) राज्य स्तरीय विशेष मात्राकरण योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति।

(16) उत्तरांचल वाणिज्य कर सलाहकार समिति।

(17) उत्तरांचल अनुसूचित जाति–जनजाति आयोग।

(18) पर्यटन परामर्शदाता।

(19) गन्ना एवं चीनी विकास उद्योग बोर्ड।

(20) उत्तरांचल भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड।

(21) उत्तरांचल वन विकास निगम।

(22) बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति।

(23) उत्तरांचल परिवहन निगम।

(24) राज्य युवा कल्याण परिषद्।

(25) राज्य योजना आयोग।

(26) हिलट्रॉन।

(ख) खण्ड (म) निकाल दिया जायेगा।

22

4—इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त किसी निकाय अथवा उनके प्राधिकारियों द्वारा मूल अधिनियम या उसके अधीन प्रदत्त अपनी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या कार्रवाई विधिमान्य रूप से की गयी बात या कार्रवाई समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के सभी उपबन्ध तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों। विधिमान्यकरण

आज्ञा से,

यू० सी० ध्यानी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the the Uttaranchal [Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Bill, 2006 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 07 of 2006).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 05, 2006.

No. 720/Vidhayee and Sansadiya Karya/2006
Dated Dehradun, April 07, 2006

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1971] (AMENDMENT) ACT, 2006

(UTTARANCHAL ACT No. 07 OF 2006)

(As passed by the Uttaranchal Legislature Assembly)

Further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971

AN

ACT

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:--

1-- (1) This Act may be called the Uttaranchal [The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Act, 2006. Short title and Commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on November 09, 2000.

2-- In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (a), the word "honorarium" (whether the word salary, remuneration or any other word has been used for the purpose) shall be added before the word "daily allowance". Amendment of section 2 of the principal Act

3--In section 3 of the principal Act--(a) for clause (x), the following clause shall be substituted, namely-- Amendment of section 3 of the principal Act

(x) The office of the Chairman, or Vice-chairman or Member (whether called Director or by any other name) of each of the following bodies, namely:--

(1) Rajya Apda Rahat Samiti.

(2) Apda Avam Nunikaran Prabandhan Pradhikaran.

(3) Bhagirathi Nadi Ghati Vikas Pradhikaran.

(4) Uttaranchal Parytan Vikas Parishad.

(5) Uttaranchal Krishi Utpadan Mandi Parishad.

(6) Rajya Stariya Krisak Mitra Parishad.

23

(7) Rajya Stariya Udyog Mitra Parishad.

(8) Uttaranchal Anya Pichhara Varg Ayog.

(9) Uttaranchal Bal Kalyan Board.

(10) Garhwal Mandal Vikas Nigam.

(11) Kumoun Mandal Vikas Nigam.

(12) Chaar Dham Vikas Parishad.

(13) Sri Badrinath Avam Sri Kedarnath Mandir Samiti.

(14) Uttaranchal Khadi Gramoudyog Board.

(15) Rajya Stariya Vishes Matrakaran Yojna Karyanvayan Avam Anushrawan Samiti.

(16) Uttaranchal Vanijya Kar Salahkar Samiti.

(17) Uttaranchal Anusuchit Jati-Janjati Ayog.

(18) Parytan Paramarshdata.

(19) Ganna Avam Chini Vikas Udyog Board.

(20) Uttaranchal Bhawan Avam Sannirman Karmkar Board.

(21) Uttaranchal Van Vikas Nigam.

(22) Bees Sutriya Karykrim Kiriyanwayan Samiti.

(23) Uttaranchal Parivahan Nigam.

(24) Rajya Yuva Kalyan Parishad.

(25) Rajya Yojana Ayog.

(26) Hiltron.

(b) Clause (y) shall be omitted.

Validation

4--Anything done or any action taken by the bodies or its authorities after the commencement of this Act in the exercise or purported exercise of its juridiction, powers and authority conferred by or under the principal Act shall be deemed to have been validly done or taken as if the provisions of the principal Act, had been in force at all material times.

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 7 विधायी / 196—2006—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

24

क्रम संख्या–266

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 22 दिसम्बर, 2008 ई0
पौष 01, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 202/XXXVI(3)/42/2008
देहरादून, 22 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम सं0 09, वर्ष 2008 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2008)

[भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम बनाया जाता है]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अधिनियम है।

(2) यह 19 नवम्बर, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 3 में संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 के खण्ड (म) में पूर्व निकायों के अतिरिक्त निम्नलिखित निकाय अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात्–

"(27) सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद्।

(28) सम्पूर्ण रोजगार गारन्टी योजना अनुश्रवण परिषद्।

(29) समेकित बाल विकास परियोजना अनुश्रवण परिषद्।

(30) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अनुश्रवण एवं सलाहकार परिषद्।

(31) राज्य बागवानी बोर्ड।

(32) जलागम प्रबन्ध परियोजनायें अनुश्रवण विकास परिषद्।

(33) उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद्।

(34) उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण।

(35) अनुसूचित जाति/जनजाति विकास परिषद्।

(36) जनजाति क्षेत्र विकास परिषद्।

(37) प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद्।

(38) राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सलाहकार एवं अनुश्रवण परिषद्।

(39) राज्य ऊर्जा सलाहकार परिषद्।

(40) राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद्।

(41) आवास एवं विकास परिषद्।

(42) शहरी विकास परियोजना अनुश्रवण परिषद्।

(43) सर्व शिक्षा अभियान विकास एवं अनुश्रवण परिषद्।

(44) ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें अनुश्रवण परिषद्।

(45) सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद्।

(46) राज्य स्तरीय लघु सिंचाई अनुश्रवण परिषद् (गढ़वाल मण्डल)।

(47) राज्य स्तरीय लघु सिंचाई अनुश्रवण परिषद् (कुमाऊँ मण्डल)।

(48) पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति।

(49) समाज कल्याण योजनायें अनुश्रवण समिति।

(50) हथकरघा एवं हस्त शिल्प विकास परिषद्।

(51) राज्य जैविक उत्पाद परिषद्।

(52) उत्तराखण्ड लाईव स्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड।

(53) वन एवं पर्यावरण सलाहकार एवं अनुश्रवण परिषद्।

(54) राज्य फिल्म सलाहकार परिषद्।"

3–उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 03, वर्ष 2008) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The 'Uttarakhand [The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Bill 2008, (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 09 of 2008).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 19th December, 2008.

No. 202/XXXVI(3)/42/2008
Dated Dehradun, December 22, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND [THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1971] (AMENDMENT) ACT, 2008

(UTTARAKHAND ACT NO. 09 OF 2008)

Further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand) in the context of the State of Uttarakhand.

AN

Act

[It is hereby enacted in the Fifty Ninth year of the Republic of India as follows]

1\. (1) This Act may be called The Uttarakhand [The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Act, 2008. Short Title and Commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on November 19, 2008.

2\. In addition to the existing bodies in Clause (x) of Section 3 of The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand), the following bodies shall be inserted, namely-- Amendment in Section 3

"(27) Sampurna Saksharta Karyakram Anushrawan Parishad.

(28) Sampurna Rojgaar Guarantee Yojna Anushrawan Parishad.

(29) Samekit Bal Vikaas Pariyojna Anushrawan Parishad.

(30) Rashtriya Gramin Swasthyaya Anushrawan Avam Salahakar Parishad.

(31) Rajya Bagwani Board.

(32) Jalagam Prabandh Pariyojnayen Anushrawan Vikaas Parishad.

(33) Uttarakhand Rajya Stariya Payjal Anushrawan Parishad.

(34) Uttarakhand Akshay Urja Vikaas Abhikaran.

(35) Anucuchit Jati/Janjati Vikaas Parishad.

(36) Janjati Kshetra Vikaas Parishad.

(37) Pradhanmantri Gramin Sarak Yojna Rajya Stariya Anushrawan Parishad.

(38) Rajya Khadya Avam Nagrik Apurti Salahakar Avam Anushrawan Parishad.

(39) Rajya Urja Salahakar Parishad.

(40) Rajya Vanya Jeev Salahakar Parishad.

(41) Awas Avam Vikaas Parishad.

(42) Shahari Vikaas Pariyojna Anushrawan Parishad.

(43) Sarwa Shiksha Abhiyan Vikaas Avam Anushrawan Parishad.

(44) Gramin Abhiyantaran Sewayen Anushrawan Parishad.

(45) Seemant Kshetra Karyakram Anushrawan Parishad.

(46) Rajya Stariya Laghu Seenchai Anushrawan Parishad (Garhwal Mandal).

(47) Rajya Stariya Laghu Seenchai Anushrawan Parishad (Kumaun Mandal).

(48) Pandrah Sutriya Karyakram Kriyanwayan Samiti.

(49) Samaj Kalyan Yojnayen Anushrawan Samiti.

(50) Hathkargha Avam Hastshilp Vikaas Parishad.

(51) Rajya Jevik Utpad Parishad.

(52) Uttarakhand Live Stock Development Board.

(53) Van Avam Paryawaran Salahakar Avam Anushrawan Parishad.

(54) Rajya Film Salahakar Parishad."

Repeal

3. The Uttarakhand (The Uttar Pradesh State Legislative (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Ordinance, 2008 (Uttarakhand Ordinance No. 03 of 2008) is hereby Repealed.

By Order,

RAM DATT PALIWAL,

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 विधायी / 892–2008–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या—15

पंजीकृत संख्या—यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009—11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 जनवरी, 2010 ई0
पौष 17, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 26 / XXXVI(3) / 2010 / 42(3) / 2008
देहरादून, 07 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009'** पर दिनांक 07 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2010 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2010)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह 22 अगस्त, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 3 में संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 के खण्ड (म) में पूर्व निकायों के अतिरिक्त निम्नलिखित निकाय अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात् :–

"(55) सभा सचिव

(56) उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी

(57) उत्तराखण्ड भाषा संस्थान।"

निरसन

3–उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 02, वर्ष 2009) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand [The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Bill, 2009' (Adhiniyam Sankhya 15 of 2010).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 January, 2010.

No. 26/XXXVI(3)/2010/42(3)/2008
Dated Dehradun, January 07, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND [THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1971] (AMENDMENT) ACT, 2009

(UTTARAKHAND ACT NO. 15 OF 2010)

Further to amend The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand) in the context of the State of Uttarakhand

AN

Act

It is hereby enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :--

Short Title, Commencement

1. (1) This Act may be callled the Uttarakhand [The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 22, 2009.

30

2. In addition to the existing bodies in clause (x) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand) the following bodies shall be inserted, namely :-- Amendment in Section 3

"(55) Parliamentary Secretary

(56) The Uttarakhand Hindi Academy

(57) The Uttarakhand Bhasha Sansthan"

3. The Uttarakhand [The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Ordinance, 2009 (Uttarakhand Ordinance No. 02 of 2009) is hereby Repealed. Repeal

By Order,

RAM DATT PALIWAL,

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 6 विधायी / 33–2010–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

31

क्रम संख्या–241

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 01 अक्टूबर, 2013 ई0

आश्विन 09, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 347/XXXVI(3)/2013/421/36(2)/2006

देहरादून, 01 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013"** पर दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 32 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

32

"उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2013"

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 32 वर्ष 2013)

[भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1971) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह दिनाँक 13 मार्च, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के खण्ड (भ) में पूर्व निकायों के अतिरिक्त निम्नलिखित निकाय अन्तःस्थापित कर दिए जायेंगे; अर्थात्–

"(58) उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम;

(59) उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड;

(60) उत्तराखण्ड राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण अभिकरण;

(61) उर्दू संस्थान;

(62) पंजाबी संस्थान।"

व्यावृत्ति

3. ऐसे संशोधनों के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

निरसन और अपवाद

4. (1) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश 2013 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धो के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट
प्रमुख सचिव।

No. 347/XXXVI(3)/2013/421/36(2)/2006
Dated Dehradun, October 01, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2013'** (Adhiniyam Sankhya 32 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 30 September, 2013.

The Uttarakhand State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2013

(Uttarakhand Act No. 32 of 2013)

{Enacted by the Uttarakhand State Assembly in the Sixty-Four Year of the Republic of India}

An

Act

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (Uttar Pradesh Act No. 15 of 1971) to the context of the State of Uttarakhand.

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 13, 2012.

Amendment of section 3

2. In addition to the existing bodies in clause (x) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand), the following bodies shall be inserted; namely :--

"(58) Uttarakhand Seeds and Tarai Development Corporation Ltd.;

(59) Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd.;

(60) Uttarakhand State Seed and Organic Production Certification Agency;

34

(61) Urdu Academy;

(62) Panjabi Academy."

Saving

3. Notwithstanding such amendments anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under this Act.

Repeal and Saving

4. (1) The Uttaranchal State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Ordinance, 2013 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

K. D. BHATT,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 57 विधायी / 542–2013–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

(73) राज्य स्तरीय जिला योजना अनुश्रवण एवं कार्यक्रम कियान्वयन समिति;

(74) आपदा पुनर्निर्माण कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति।"

व्यावृत्ति

3. ऐसे संशोधनों के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

निरसन और अपवाद

4. (1) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (अध्यादेश संख्या 02 वर्ष 2014 तथा अध्यादेश संख्या 03 वर्ष 2014) इसके द्वारा निरसित किये जाते है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धो के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

के0 डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।

No. 178/XXXVI(3)/2014/36(1)/2014
Dated Dehradun , June 24, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Bill 2014"** (Adhiniyam Sankhya 18 of 2014).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 23 June, 2014.

38

The Uttarakhand State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 20

(Uttarakhand Act No. 18 of 2014)

{Enacted by the Uttarakhand State Assembly in the Sixty-fifth Year of the Republic of India}

An

Act

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (Uttar Pradesh Act No. 15 of 1971) to the context of the State of Uttarakhand

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 3

2. In clause (x) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand), -

(a) serial number (41) shall be substituted as follows, namely-

"(41) Uttrakhand Awas Vikas Parishad and Awas Nidhi;"

(b) In addition to the existing bodies, the following bodies shall be inserted; namely :--

"(63) State Infrastructure and Industrial Development Council;

(64) Backward and More Backward Class welfare Council Backward Class Fund Monitory ;

(65) Seemant Area Programme Monitory Council;

(66) State Mineral Development Council ;

(67) Uttrakhand Social Welfare Planning Monitory Committee;

(68) Implementation and Monitory Committee for S.C.S.P and T.S.P Act ;

(69) Advisor of Social Welfare and State Estate Department;

(70) Uttrakhand State Contractual Labour Board Advisor;

(71) Haridwar / Roorki Development Authority ;

(72) Pilgrimage Management and Religious Mela Council;

39

(73) State level District Planning Monitory and Programme Implementation Committee;

(74) Apda Punarnirman Kriyanwan evam Anushraan Samiti."

Saving 3. Notwithstanding such amendments anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under this Act.

Repeal and Saving 4. (1) The Uttaranchal State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Ordinance, 2014 (Ordnance No 02 of 2014 and Ordnance no 03 of 2014) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

K. D. BHATT,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 विधायी / 477–2014–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2014)

{भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित}

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1971) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के खण्ड (भ) में –

(क) कमांक (41) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"(41) उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद् तथा आवास निधि;"

(ख) पूर्व निकायों के अतिरिक्त निम्नलिखित निकाय अन्तःस्थापित कर दिए जायेंगे; अर्थात्–

"(63) राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास परिषद्;

(64) पिछड़ा व अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद एवं पिछड़ा वर्ग निधि अनुश्रवण;

(65) सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद;

(66) राज्य खनिज विकास परिषद्;

(67) उत्तराखण्ड समाज कल्याण योजना अनुश्रवण समिति;

(68) एस0सी0एस0पी0 तथा टी0एस0पी0 अधिनियम अनुपालन व अनुश्रवण समिति;

(69) समाज कल्याण व राज्य सम्पत्ति विभाग के सलाहकार;

(70) उत्तराखण्ड राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड;

(71) हरिद्वार/रूड़की विकास प्राधिकरण;

(72) तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला परिषद;

क्रम संख्या—129

पंजीकृत संख्या—यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0—30/2012—14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 24 जून, 2014 ई0

आषाढ़ 03, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 178/XXXVI(3)/2014/36(1)/2014

देहरादून, 24 जून, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014** "पर दिनांक 23 जून, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 18 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व—साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

36

क्रम संख्या–66 पंजीकरण संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 10 जुलाई, 2017 ई0

आषाढ़ 19, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 279 / XXXVI (3) / 2017 / 421 / 36(1) / 2006

देहरादून, 10 जुलाई, 2017

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2017" पर दिनांक 30 जून, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2017 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

41

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2017)

[भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, वर्ष 1971) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के खण्ड (म) की प्रविष्टि (74) के पश्चात् एक नयी प्रविष्टि (75) अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

(75) "पर्वतीय चकबंदी सलाहकार समिति"।

आज्ञा से,

भारत भूषण पाण्डेय,

अपर सचिव।

No. 279/XXXVI(3)/2017/421/36(1)/2006

Dated Dehradun, July 10, 2017

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Bill, 2017'** (Adhiniyam Sankhya 12 of 2017).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 30 June, 2017.

42

THE UTTARAKHAND STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) (AMENDMENT) ACT, 2017

(Uttarakhand Act no. 12 of 2017)

[Enacted by the Uttarakhand State Assembly in the Sixty-eighth Year of the Republic of India]

An

Act

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (Uttar Pradesh Act No. 15 of 1971) to the context of the State of Uttarakhand.

Short title and Commencement

1\. (1) This Act may be called the Uttarakhand State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 3

2\. After entry number (74) of clause (x) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand), the entry number (75) shall be inserted as follows, namely--

"(75) Parvatiya Chakbandi Salahkaar Samiti,"

By Order,

BHARAT BHUSHAN PANDEY,
Additional Secretary.

43

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 यथावत् लागू है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि इस अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (भ) में प्रविष्टि संख्या (74) के पश्चात् एक नयी प्रविष्टि (75) पर्वतीय चकबंदी सलाहकार समिति के रूप में अंतःस्थापित कर दी जाय।

2–प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 विधायी/395–2017–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–12

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 20 जनवरी, 2020 ई0

पौष 30, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 33 / XXXVI (3) / 2020 / 421 / 36(2) / 2006

देहरादून, 20 जनवरी, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2019'** पर दिनांक 16 जनवरी, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 07 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

45

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2020)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1971) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम,1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के खण्ड (भ) की प्रविष्टि (75) के पश्चात् एक नयी प्रविष्टि (76) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:

"(76) गैरसैंण विकास परिषद्"।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,

सचिव।

46

उददेश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 यथावत लागू है; राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि इस अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (भ) में प्रविष्टि (75) के पश्चात् एक नयी प्रविष्टि (76) गैरसैंण विकास परिषद् के रूप में अंतःस्थापित कर दी जाय।

2– प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उददेश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री।

47

No. 33/XXXVI(3)/2020/421/36(2)/2006
Dated Dehradun, January 20, 2020

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2019' (Act No. 07 of 2020).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 16 January, 2020.

THE UTTARAKHAND STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) (AMENDMENT) ACT, 2019

(Uttarakhand Act No. 07 of 2020)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (Uttar Pradesh Act No. 15 of 1971) (as applicable to the State of Uttarakhand) in the context of the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventieth year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1\. **(1)** This Act may be called the Uttarakhand State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 3

2\. After entry number (75) of clause (x) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand), the entry number (76) shall be inserted as follows, namely--

"(76) Gairsain Development Council ."

By Order,

PREM SINGH KHIMAL,
Secretary.

Statement of Objects and Reasons

The Uttar Pradesh State Legislative (Prevention of Disqualification) Act, 1971 is applicable in Uttarakhand State. The State Government has decided that after entry No. (75) in clause (x) of Section 3 of this Act, new entry (76) in the form of Gairsain Development Council be inserted.

2- Proposed Bill fulfills the aforesaid objectives.

Trivendra Singh Rawat
Chief Minister.

49

पी०एस०यू०(आर०ई०) 13 विधायी / 4(-2020—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।